न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-192Jodhpur2022-112 Shankarlal ors Vs Nagarpalika Bilara etc

1. शंकरलाल पुत्र भैराराम
2. भागीरथ पुत्र भैराराम
3. मोहनलाल पुत्र झूंझारराम
4. ओमप्रकाश पुत्र झूंझारराम

सभी जातियान् राईका, निवासीगण- चक नंबर 3 चैनपुरा की ढाणी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. नगरपालिका बिलाड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 12 मई 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व विविध पार्थनापत्र संख्या 10/2021 शंकरलाल व अन्य बनाम नगरपालिका इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 26 दिसंबर 2022

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 10/2021 शंकरलाल व अन्य बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नगरपालिका बिलाड़ा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि <u>प्रार्थीगण/अपीलांट्स</u> ने एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 4950/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 3 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मई 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2022 को पारित करने में घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया केस का अर्थ समझे बिना प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस नहीं मानने में भूल की गई है। भूमि खसरा नं. 4950/1 व 4950/2 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है तथा यह कृषि भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 4950/1 रकबा 3.10 बीघा व खसरा नं. 4950/2 रकबा 4.10 बीघा में सें राज्य सरकार ने कोई सड़क बनाने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तथा न ही प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 4950/1 एवं खसरा नं. 4950/2 को किसी प्रकार से अवाप्त किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये अगर जबरन सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है तो उसे रूकवाने के लिए प्रार्थी ने सही तथ्यों के आधार पर घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया है। अतः प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार के खेत में से रोड़ निकालने का प्रयास किया जाता है तो उसे रूकवाने का प्रार्थीगण को पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि को बिना अवाप्त किये तथा किसी प्रकार के मुआवजा को अदा किये सड़क निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर विचार किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तुलनात्मक सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट अप्रार्थी के पक्ष में मानने में भूल की गई है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 4950/1 एवं 4950/2 के रेकर्डेड खातेदार है एवं उस पर काबिज होने के बावजूद तुलनात्मक सुविधा अप्रार्थी के पक्ष मे किस आधार पर है, इसका कोई आधार बताये बिना यह बिंदु रेस्पोडेंट के पक्ष में मानने में भूल की गई है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 4950/1 एवं 4950/2 के पश्चिम में खसरा नं. 5965 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है जो नगरपालिका बिलाड़ा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा पर सड़क बनाये जाने के बजाय अप्रार्थी द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी में से सड़क निर्माण करवाने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। द्वितीय विवादग्रस्त भूमि खातेदारी की है, इस कारण तुलनात्मक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में है तथा तृतीय खातेदारी भूमि में से सड़क निर्माण अगर बिना भूमि को अवाप्त कर किया जाता है तो अपूरणीय हानि <u>प्रार्थीगण/अपीलांट्स</u> को होगी। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मई 2022 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमावे कि वो भूमि खसरा नं. 4950/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 4950/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके चक संख्या 3 बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा से न तो सड़क निकाले एवं न ही सड़क निर्माण की कार्यवाही करे तथा मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखने का आदेश फरमावे।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर विगतः 70-80 वर्षो से रास्ता चलता है। उक्त रास्ते की भूमि पर नगर पालिका बिलाड़ा द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो जनहित का कार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2076-2079 ग्राम बिलाड़ा चक-3 के खाता संख्या 1169, 1170 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 1019, 1021 के मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 4950/1 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 4950/2 रकबा 0.7281 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07 जुलाई 2009 के मुताबिक अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 4950/1 एवं 4950/2 के चिपते ही रेस्पोडेंट संख्या एक नगरपालिका बिलाड़ा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नं. 5965 रकबा 7.01 बीघा अवस्थित होना बताया गया है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका फर्द में उल्लेखित है कि खसरा नं. 4965 रकबा 7.1 बीघा गैर मुमकिन रास्ता जो बिलाड़ा से रणवीरसिंह वगैरह के खेतो का रास्ता जो खोलने के लिए प्रस्तावित है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाये जाने के बजाय तथा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 4965 से हटकर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर बिना किसी अवाप्ति प्रक्रिया को अपनाये तथा अपीलांट्स की सहमति के बिना विधिविरुद्ध तरीके से सड़क निर्माण करवाया जाना विधिसम्मत नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मई 2022 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट्स को विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावे के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नं. 4965 रकबा 7.01 बीघा गैर मुमकिन रास्ते हटकर सड़क निर्माण नहीं करे तथा अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 4950/1 रकबा 0.5663 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 4950/2 रकबा 0.7281 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर